

2-5-17

वादी व उनके वकील उपस्थित। विपकी  
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक  
अदालत में रफर करने के लिए सहमत  
है। अतः प्रकरण का न्याय अदालत में  
रफर किया जाता है। पक्षकारान  
विनांश 31-5-17 को लोक अदालत  
के समक्ष उपस्थित रहें।

31-5-17

पक्षकार लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान  
द्वारा प्रस्तुत शर्तनामा में उल्लिखित किया गया है  
कि उनके गध बंटवारा हो चुका है इसलिए  
दावा नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा विद्वान  
के आधारे पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैलाना शुरू होकर नंबर से  
कम हो एवं बाद तकगील जमा जिला इन्फि-  
लेखागार हो।

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
वजीरपुर

सबरस्य  
लोक अदालत  
वजीरपुर

सबरस्य

विद्वान

विद्वान

विद्वान

विद्वान

रमेश

रामध्याल